न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : नवनीत कुमार
नियम 22(3) प्रार्थना पत्र संख्या : 13/2016

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 – प्रार्थी

बनाम

श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री मानसिंह राजपूत साकिन ख्याली, तहसील व जिला झूंझनूं – अप्रार्थी

उपस्थिति :

1. पैरोकार राज
2. श्री विजय कुमार भादाणी – अप्रार्थी वकील

निर्णय

दिनांक :– 21–05–2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत दिनांक 29–10–2012 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04–06–2007 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा ग़ांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक 77 एसडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 37/64 में 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में आवंटन पर्ची में हेरा–फेरी की गयी है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री मानसिंह राजपूत को बतौर भूतपूर्व सैनिक विनिमय श्रेणी में उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक नम्बर 77 एसडी(ए) के मु0नं0 37/64 में 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गयी थी जिसके विरूद्ध उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 ने आवंटन नियम, 1975 के नियम 22(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त आवंटित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा किसी अन्य आवंटी सदा कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह राजपूत साकिन रतनगढ़ को आवंटन हो रखी है, इस कारण विवादग्रस्त भूमि पर धारा 22(3) की कार्यवाही नहीं हो सकती। वर्तमान में तहसील से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के नाम आवंटित भूमि चक 77 एसडी(ए) के मु0नं0 37/64 में किला नम्बर 1 ता 19 में 19–00 बीघा, किला नम्बर 20 में 0–05 बीघा कमाण्ड रकबे का आवंटन सदा कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह राजपूत तहसील रतनगढ़ जिला चूरू को भूतपूर्व सैनिक के आधार पर भूमि आवंटन हुआ था व किला नम्बर 20 में 0–15 बीघा, किला नम्बर 21 ता 25 में 5–00 बीघा

Scanned with OKEN Scanner

कुल 5–15 बीघा कमाण्ड रकबे का मीडियम पेच आवंटन किया गया था। उक्त रकबे का बेचान नामन्तरकरण संख्यां 162 दिनांक 17.12.2024 द्वारा श्रीमती चन्द्रकला जाति खत्री निवासी तहसील व जिला जैसलमेर के नाम है। उक्त रकबे पर कब्जा क्रेता का है। अतः अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने से उक्त 22(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई शेष नहीं रहती है। अतः 22(3) की कार्रवाई को समाप्त कर अप्रार्थीगणों को नियमानुसार अन्य रकबा आवंटित करने का निवेदन किया है।

पैरोकार राज सरकार ने कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि अन्य को आवंटन होने से उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को भिजवाया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पैरोकार राज व अप्रार्थी की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा समस्त तथ्यों पर भी मनन किया गया।

अप्रार्थी श्री ईश्वर सिंह को दिनांक 04–06–2007 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक 77 एसडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 37/64 में 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 ने नियम 22(3) का प्रकरण न्यायालय में पेश किया था चूंकि अप्रार्थी श्री ईश्वरसिंह को आवंटित भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा किसी अन्य आवंटी श्रीमती सदा कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह को भूतपूर्व सैनिक श्रेंणी में आवंटित कर दी गई थी। वर्तमान में तहसील से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के नाम आवंटित भूमि चक 77 एसडी(ए) के मु0नं0 37/64 की 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि श्रीमती चन्द्रकला क्रेता दर्ज है। अतः अप्रार्थी को उक्त आवटित भूमि अन्य को आवंटित होने से उक्त 22(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई शेष नहीं रहती है।

अतः अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने से उक्त 22(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध नियम 22(3) का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में आवश्यक जांच करें और नियमानुसार समीक्षात्मक परीक्षण कर पात्रता की जांच कर भूमि आवंटन करें।

निर्णय की प्रति व अधीनस्थ रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाकर फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21–05–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner